

नक्शा C-2b के लिए मसौदा

## अध्यादेश संख्या XX-2017

**एक ज़िला-वार चुनाव प्रक्रिया स्थापित करने के लिए फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता के चुनाव संबंधी अध्याय 2.05 में संशोधन करते हुए फ्रीमोंट नगर का एक अध्यादेश और अन्य अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अध्याय 2.05 में संशोधन**

---

जबकि फ्रीमोंट शहर (City of Fremont) नगर परिषद (City Council) के सदस्यों के चुनाव में सभी निवासियों की पूर्ण भागीदारी का समर्थन करता है; और

जबकि 1977 में मतदाताओं के प्रयास, उपाय A और 1996 में मतदाताओं द्वारा संशोधित उपाय AA के अनुसरण में फ्रीमोंट नगर वर्तमान में व्यापक चुनाव प्रणाली का प्रयोग करते हुए अपने चार नगर परिषद सदस्यों का चुनाव करता है जिनके साथ मेयर का चुनाव अलग से किया जाता है जो कि नगर परिषद का सदस्य भी होता है; और

जबकि व्यापक चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार नगर के किसी भी हिस्से के निवासी हो सकते हैं और प्रत्येक नगर परिषद सदस्य का चुनाव पूरे नगर के मतदाताओं द्वारा किया जाता है; और

जबकि ज़िला-वार चुनाव प्रणाली में नगर परिषद के चुनाव के उम्मीदवार का उस ज़िले का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है अथवा चाहती है और केवल उस ज़िले के मतदाता यह निर्णय करने के लिए मतदान के हकदार होते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा; और

जबकि 15 फरवरी, 2017 को नगर को एक अटर्नी केविन शेंकमैन से यह दावा करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ कि व्यापक चुनाव प्रणाली कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम (California Voting Rights Act) का उल्लंघन करती है और उन्होंने नगर द्वारा ज़िला-वार चुनाव अपनाने से इंकार किए जाने पर मुकदमा करने की धमकी दी; और

जबकि पत्र में उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं था परंतु कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम के तहत किसी दावे के विरुद्ध बचाव करने की लागत काफी अधिक है; और

जबकि 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा (California Government Code Section) 34886 में निम्नलिखित प्रावधान है:

धारा 34871 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद किसी नगर का विधायी निकाय किसी ऐसे अध्यादेश (ordinance) को अपना सकता है जिसमें विधायी निकाय के सदस्यों का चुनाव ज़िला-वार अथवा एक चुने गए मेयर के साथ ज़िला-वार किया जाना हो, जैसा कि धारा 34871 के उपबंधों (a) और (c) में उल्लिखित है और इसके लिए अध्यादेश को मतदाताओं के

अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। इस धारा के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश में एक घोषणा शामिल होगी कि विधायी निकाय के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन 2001 के कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम (चुनाव संहिता के खंड 14 के अध्याय 1.5 (धारा 14025 से लागू होते हुए) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है; और

जबकि कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34871 (c) में छह ज़िलों में एक निर्वाचित मेयर के साथ ज़िला-वार एक नगर के विधायी निकाय के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है; और

जबकि 21 मार्च, 2017 को आयोजित नियमित बैठक में नगर परिषद ने चुनाव संहिता धारा 10010 के अनुसरण में एक ज़िला-वार प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक संकल्प (resolution) अपनाया;

## अध्यादेश संख्या XX-2017

एक ज़िला-वार चुनाव प्रक्रिया स्थापित करने के लिए फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता के चुनाव संबंधी अध्याय 2.05 में संशोधन करते हुए फ्रीमोंट नगर का एक अध्यादेश और अन्य अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अध्याय 2.05 में संशोधन

---

जबकि फ्रीमोंट शहर (City of Fremont) नगर परिषद (City Council) के सदस्यों के चुनाव में सभ

जबकि 1977 में मतदाताओं के प्रयास, उपाय A और 1996 में मतदाताओं द्वारा संशोधित उपाय A,

परिषद का सदस्य भी होता है; और

जबकि व्यापक चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार नगर के किसी भी हिस्से के निवासी हो सकते हैं और प्रत्येक नगर परिषद सदस्य का चुनाव पूरे नगर के मतदाताओं द्वारा किया जाता है; और

जबकि ज़िला-वार चुनाव प्रणाली में नगर परिषद के चुनाव के उम्मीदवार का उस ज़िले का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है अथवा चाहती है और केवल उस ज़िले के मतदाता यह निर्णय करने के लिए मतदान के हकदार होते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा; और

जबकि 15 फरवरी, 2017 को नगर को एक अटर्नी केविन शेंकमैन से यह दावा करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ कि व्यापक चुनाव प्रणाली कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम (California Voting Right

जबकि पत्र में उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं था परंतु कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम के तहत किसी दावे के विरुद्ध बचाव करने की लागत काफी अधिक है; और

जबकि 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा (California Government

धारा 34871 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद किसी नगर का विधायी निकाय किसी ऐसे अध्यादेश (ordinance) को अपना सकता है जिसमें विधायी निकाय के सदस्यों का चुनाव

34871 के उपबंधों (a) और (c) में उल्लिखित है और इसके लिए अध्यादेश को मतद

और

जबकि कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 के अनुसरण में यह घोषणा की गई है कि इस अध्यादेश द्वारा फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में परिवर्तन कैलीफोर्निया मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 14031 में दिए गए कैलीफोर्निया संविधान के अनुच्छेद (Article) I की धारा 7 और अनुच्छेद II की धारा 2 की गारंटियों को लागू करने के लिए किया गया है, और

जबकि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के तहत व्यापक चुनाव पद्धति से ज़िला-वार चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने के राजनैतिक उप-विभाजन के लिए तीस दिन के अंदर कम से कम दो जन सुनवाईयां आयोजित की जानी होंगी जिनमें जनता को ज़िलों की प्रस्तावित सीमाओं के नक्शा अथवा नक्शाओं का प्रारूप तैयार करने से पहले ज़िलों के संघटन के संबंध में सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया जाता है; और

जबकि ज़िलों की प्रस्तावित सीमाओं के नक्शा बनाए जाने से पहले नगर परिषद ने 4 अप्रैल, 2017 और 18 अप्रैल, 2017 को जन सुनवाईयां आयोजित की थीं जिनमें प्रस्तावित ज़िला सीमाओं के संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे और इन्हें सुना गया था; और

जबकि 18 अप्रैल, 2017 को जन सुनवाई में नगर परिषद ने अपने जनसांख्यिकीय परामर्शदाता को छह परिषद ज़िलों सहित पुनःज़िला-निर्धारण योजना विकल्प तैयार करने के लिए निर्देश दिया; और

जबकि 27 अप्रैल, 2017 को कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के अनुसार नगर ने सभी विचाराधीन नक्शाओं के प्रारूप प्रकाशित किए और जारी करने के लिए उपलब्ध कराए; और

जबकि चुनावों का संभावित क्रम भी प्रकाशित किया गया; और

जबकि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 10010 के प्रावधानों के अनुसार नगर ने 45 दिन की अवधि के अंदर अतिरिक्त सुनवाईयां आयोजित कीं, पहली 2 मई, 2017 को, दूसरी 16 मई, 2017 को और तीसरी 6 जून, 2017 को, जिनमें जनता को नक्शाओं के प्रारूप की सामग्री और चुनावों के संभावित क्रम के संबंध में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया; और

जबकि इस अध्यादेश का उद्देश्य कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 के अनुसरण में एक अध्यादेश अधिनियमित (enact) करना है जिसमें फ्रीमोंट नगर में एक अलग से निर्वाचित मेयर के पद को बनाए रखते हुए छह एकल-सदस्य ज़िलों में ज़िला-वार नगर परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है, जैसा कि इस अध्यादेश के परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है और फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता अध्याय 2.05 में अनुरूपी तथा तकनीकी परिवर्तन करने का प्रावधान है।

अब इसलिए फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद निम्नानुसार आदेश पारित करती है:

अनुभाग 1. FMC अध्याय 2.05, संशोधित

फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता के अध्याय 2.05 को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है:

## **अध्याय 2.05 नगर परिषद और मेयर**

धाराएं:

- |          |   |
|----------|---|
| 2.05.010 | परिषद की नियमित बैठकों का समय – परिषद के मध्य अवकाश।          |
| 2.05.020 | आरक्षित 2.05.030 परिषद की बैठकों का स्थान।                    |
| 2.05.040 | नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन के सत्रों का स्थान।            |
| 2.05.050 | परिषद की विशेष बैठकें।  |
| 2.05.060 | मेयर और परिषद के सदस्यों की क्षतिपूर्ति।                      |
| 2.05.070 | क्षतिपूर्ति।  |
| 2.05.080 | नगर परिषद के पदों को भरने के लिए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख। |
| 2.05.090 | परिषद की रिक्तियों को भरना।                                   |
| 2.05.100 | कार्यकाल की सीमाएं।   |
| 2.05.110 | मेयर और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल।                         |
| 2.05.120 | छह नगर परिषद सदस्यों के लिए ज़िला-वार निर्वाचन प्रणाली        |
| 2.05.130 | नगर परिषद निर्वाचन ज़िलों की स्थापना।                         |
| 2.05.140 | ज़िला-वार निर्वाचित परिषद सदस्यों के लिए चुनाव की समय-सारणी।  |

### **धारा. 2.05.010 परिषद की नियमित बैठकों का समय – परिषद के मध्य अवकाश।**

नगर परिषद की नियमित बैठकें महीने के पहले तीन मंगलवार को शाम 7:00 बजे आयोजित की जाएगी; बशर्ते कि जब भी बैठक का यह समय सार्वजनिक अवकाश के दिन होगा उस दिन कोई नियमित बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, परंतु अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी जैसा कि नगर परिषद द्वारा विनिर्धारित किया गया है यह अगली नियमित बैठक से पहले स्थगित नियमित बैठक के रूप में आयोजित की जाएगी। अगस्त के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मंगलवार और दिसंबर के चौथे मंगलवार को परिषद का अवकाश होगा।

### **धारा. 2.05.020 आरक्षित**

### **धारा. 2.05.030 परिषद की बैठकों का स्थान।**

परिषद की सभी नियमित बैठकें फ्रीमोंट सिटी हॉल, 3300 कैपिटल एवेन्यू, फ्रीमोंट कैलीफोर्निया में नगर परिषद चैम्बर में आयोजित की जाएंगी।

### **धारा. 2.05.040 नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन के सत्रों का स्थान।**

नियमित रूप से निर्धारित अध्ययन सत्र फ्रीमोंट सिटी हॉल, 3300 कैपिटल एवेन्यू, फ्रीमोंट कैलीफोर्निया में नगर परिषद चैम्बर में आयोजित किए जाएंगे।

### **धारा. 2.05.050 परिषद की विशेष बैठकें।**

किसी भी समय चार नगर परिषद सदस्य अथवा मेयर अथवा उसकी नगर से अनुपस्थिति अथवा आने में असमर्थता पर अस्थायी मेयर प्रत्येक नगर परिषद सदस्य को लिखित नोटिस देकर और सामान्य परिचालन वाले प्रत्येक स्थानीय समाचार-पत्र, रेडियो अथवा टेलीविजन पर लिखित में नोटिस जारी करने का अनुरोध करते हुए और नगर की वेबसाइट पर नोटिस पोस्ट करके एक विशेष बैठक बुला सकता है। ऐसा नोटिस इसमें विनिर्धारित ऐसी बैठक के समय से कम से कम 24 घंटे पहले व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अन्य माध्यम से अवश्य पहुंचाया जाना चाहिए। हर समय प्रत्येक नगर परिषद सदस्य का एक ऐसा पता नगर क्लर्क की फाइल में होगा जिस पर उपर्युक्त के अनुपालन में ऐसे नोटिस भेजे जा सकें। कॉल तथा नोटिस में विशेष बैठक का समय तथा स्थान और किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा दिया जाएगा। परिषद द्वारा ऐसी बैठकों में किसी अन्य कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि बैठक के समय अथवा इससे पहले कोई नगर परिषद सदस्य नगर क्लर्क को लिखित में नोटिस में छूट देने हेतु आवेदन करता है, तो लिखित नोटिस में छूट दी जा सकती है। यह छूट टेलीग्राम द्वारा दी जा सकती है। बैठक आयोजित किए जाते समय यदि कोई सदस्य वास्तव में उपस्थित है, तो भी लिखित नोटिस छोड़ा जा सकता है। सभी विशेष बैठकें उसी स्थान पर आयोजित की जाएंगी जो कि परिषद की नियमित बैठकें आयोजित करने संबंधी अध्याय में दिया गया है और ऐसे समय पर आयोजित की जाएंगी जो कि नोटिस तथा कॉल में बताया गया है।

### **धारा. 2.05.060 मेयर और परिषद के सदस्यों की क्षतिपूर्ति।**

- (क) मेयर के अतिरिक्त परिषद के प्रत्येक सदस्य को \$2,118.89 प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा।
- (ख) मेयर को \$3,764.52 प्रति माह का वेतन प्राप्त होगा।
- (ग) प्रत्येक बजट चक्र में क्षतिपूर्ति (compensation) में बढ़ोतरी की समीक्षा की जाएगी और सेन फ्रांसिस्को-ऑकलैंड-सेन होजे के सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा जो कि चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। नगर परिषद के सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी ऐसी बढ़ोतरी को प्राधिकृत करने वाले एक अध्यादेश को अपनाने के बाद नई परिषद का कार्यकाल शुरू होने से ही प्रभावी होगी। मेयर की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (वह राशि जो नगर परिषद सदस्य के वेतन से अधिक है) में बढ़ोतरी इस बढ़ोतरी को अपनाने संबंधी अध्यादेश में निर्धारित किए गए अनुसार प्रभावी होगी।

### **धारा. 2.05.070 क्षतिपूर्ति।**

धारा 2.05.060 में परिषद के सदस्यों के लिए निर्धारित वेतन परिषद के प्रत्येक सदस्य को नगर के लिए अपने कार्यालयी कर्तव्यों के निष्पादन में उनके द्वारा किए गए वास्तविक तथा आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त है और होगा।

### **धारा. 2.05.080 नगर परिषद के पदों को भरने के लिए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख।**

कैलीफोर्निया सरकार की संहिता §36503 के अनुसरण में फ्रीमोंट नगर के आम नगरपालिका चुनाव उसी दिन होंगे जिस दिन पूरे राज्य में आम चुनाव होंगे, जैसा कि कैलीफोर्निया चुनाव की इस संहिता में दिया गया है: संहिता §[1301](#).

**संपादक की टिप्पणी:** धारा 2.05.080 को मूल रूप से फ्रीमोंट नगर के मतदाताओं द्वारा आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को सम-संख्या के वर्षों में अप्रैल से विषम-संख्या के वर्षों में नवंबर में बदलने के लिए अप्रैल, 1982 में किए गए सलाहकारी मतदान के बाद अध्यादेश संख्या 1500 द्वारा अपनाया गया था (इस प्रावधान के तहत पहला चुनाव नवंबर, 1983 में और अंतिम चुनाव नवंबर, 1991 में आयोजित किया गया था)। धारा 2.05.080 को फ्रीमोंट नगर के मतदाताओं के अनुमोदन के अधीन अध्यादेश संख्या 1977 द्वारा संशोधन किया गया और नवंबर 1991 में मतदाताओं द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया जिसमें एक बाध्यकारी गैर-सलाहकारी उपाय पर मतदान करते हुए आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को विषम-संख्या के वर्षों में नवंबर से बदल कर पूरे राज्य में आम चुनाव के दिन किया गया जो कि कैलीफोर्निया चुनाव संहिता §1301 के अनुसरण में, प्रत्येक सम-संख्या वाले वर्ष में नवंबर में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को आयोजित की जाती है (इस प्रावधान के तहत पहला चुनाव नवंबर 1994 में निर्धारित किया गया)। अध्यादेश संख्या 1977 में आम नगरपालिका चुनाव की तारीख को बदलकर पूरे राज्य में आम चुनाव के दिन करने के समर्थन में राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय तथा स्थानीय एजेंसी उम्मीदवारों तथा उपायों के लिए समेकित चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की विशाल संख्या; समेकित चुनावों के लागत लाभ; और आम नगरपालिका चुनावों को कई अन्य स्थानीय एजेंसियों के शासी बोर्ड के चुनावों के साथ आयोजित करने के सामान्य लाभ, जिनमें वही अथवा लगभग वही निर्वाचक होते हैं (1991 में इसमें एलामीडा काउंटी वाटर डिस्ट्रिक्ट, फ्रीमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, फ्रीमोंट-नेवार्क (ओहोन) कम्प्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, और वाशिंगटन टाउनशिप हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट शामिल थे), सहित कई निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

### धारा. 2.05.090 परिषद की रिक्तियों को भरना।

- (ख) यदि परिषद सदस्य कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो नगर परिषद रिक्ति होने के 60 दिन के अंदर रिक्ति को नियुक्ति से भरेगी अथवा रिक्ति भरने के लिए विशेष चुनाव करवाएगी। यदि परिषद इस रिक्ति को नियुक्ति से भरती है तो नियुक्त व्यक्ति उस परिषद ज़िले में रहेगा जहां रिक्ति हुई है और कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 36512(b)(2) में निर्धारित किए गए अनुसार कार्य करेगा।
- (ख) यदि किसी नगर परिषद सदस्य के कार्यालय में पदत्याग के कारण रिक्ति हुई है तो त्यागपत्र देने वाला नगर परिषद सदस्य कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 36512(e) में दी गई सीमाओं के अधीन नियुक्ति के लिए तब मतदान कर सकता है यदि त्यागपत्र उत्तरवर्ती (successor) की नियुक्ति पर प्रभावी होता है।
- (ग) यदि मेयर का पद रिक्त होता है तो परिषद कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34902 के अनुसार नियुक्ति द्वारा रिक्ति भरेगी। यदि परिषद इस पद को 60 दिन के अंदर नहीं भर पाती, तो इसके बाद कम से कम 114 दिन के बाद किसी तारीख को होने वाले अगले चुनाव की निर्धारित तारीख को रिक्ति भरने के लिए परिषद चुनाव करवाएगी। किसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अथवा निर्वाचित व्यक्ति पूर्व पदधारी के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा।
- (घ) यदि परिषद विशेष चुनाव करवाती है, तो विशेष चुनाव इनके घोषित किए जाने के कम से कम 114 दिन बाद अगले चुनाव की निर्धारित तारीख को आयोजित किए जाएंगे। किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति उस परिषद ज़िले में रहेगा जहां रिक्ति हुई है और पूर्व पदधारी के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा।

### धारा. 2.05.100 कार्यकाल की सीमाएं।

- (क) कोई मेयर जो लगातार आठ वर्ष तक मेयर के पद पर रह चुका है, इस पद के लिए तब पात्र नहीं

होगा यदि उसने इस पद पर सेवारत रहते हुए कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।

- (ख) कोई परिषद सदस्य जो लगातार आठ वर्ष तक परिषद सदस्य के पद पर रह चुका है, वह इस पद के लिए आगामी सेवा के लिए तब पात्र नहीं होगा यदि उसने इस पद पर सेवारत रहते हुए कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।
- (ग) इस धारा के तहत अपात्र होने के कारण किसी व्यक्ति, जो मेयर के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है उस पर परिषद सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अथवा एक व्यक्ति जो परिषद सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपात्र है उस पर मेयर के रूप में सेवा करने के लिए कोई रोक नहीं होगी। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति ने मेयर और परिषद सदस्य के पद पर लगातार 16 वर्ष की सेवा की है, तो वह दोनों पदों पर आगामी सेवा करने के लिए तब अपात्र होगा यदि उसने दोनों पदों पर कम से कम चार वर्ष का सेवा अंतराल न किया हो।
- (घ) पूर्ण कार्यकाल से कम समय के लिए पद पर रहने के समय को पद पर लगातार वर्षों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ङ.) इस धारा के अधिनियमन से पहले पद पर रहने के समय को पद पर रहने के लगातार वर्षों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- (च) सेवा के वर्षों की गणना करते समय पूर्ण चार वर्ष का कार्यकाल चार वर्ष की सेवा माना जाएगा चाहे ऐसे कार्यकाल की अवधि ठीक चार वर्ष न हो।

#### **धारा. 2.05.110 मेयर और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल।**

मेयर और प्रत्येक परिषद सदस्य के लिए कार्यकाल चार वर्ष होगा।

#### **धारा. 2.05.120 छह नगर परिषद सदस्यों के लिए ज़िला-वार निर्वाचन प्रणाली**

(क) कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34886 और 34871(c) के अनुसरण में छह (6) एकल-सदस्य ज़िलों में परिषद सदस्य ज़िला-वार निर्वाचित होंगे। मेयर का चुनाव नगरव्यापी मतदान द्वारा अलग से किया जाएगा।

(1) नवंबर 2018 में आम नगरपालिका चुनावों से शुरू करते हुए परिषद सदस्यों का चुनाव धारा 2.05.130 द्वारा स्थापित और राज्य के कानून के प्रावधानों के अनुसार बाद में समायोजित निर्वाचन ज़िलों में किया जाएगा। चुनाव कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34871 में निर्धारित कार्यकाल के अनुसार ज़िला-वार आधार पर किए जाएंगे; अर्थात् मेयर को छोड़कर, जिसका चुनाव पूरे नगर द्वारा मतदान से किया जाएगा, प्रत्येक ज़िले से केवल उसी ज़िले के निर्वाचकों द्वारा नगर परिषद के एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। धारा 2.05.110 के अनुसार और धारा 2.05.140(b) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर मेयर सहित प्रत्येक परिषद सदस्य चार-वर्ष के कार्यकाल तक सेवारत रहेगा यदि उसका उत्तरवर्ती पात्र नहीं हो गया है।

(2) उप धारा (b)(3) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर एक ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए परिषद सदस्य को उस ज़िले का निवासी अवश्य होना चाहिए और उस ज़िले का एक

पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और नगर परिषद के लिए किसी भी उम्मीदवार को उस ज़िले का निवासी अवश्य होना चाहिए और उस ज़िले में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिस ज़िले में वह कैलीफोर्निया सरकार संहिता धारा 34882 और चुनाव संहिता धारा 10227 के अनुसरण में नामांकन पत्र जारी किए जाने के समय चुनाव लड़ना चाहता है। किसी परिषद सदस्य द्वारा किसी ज़िले में निवास छोड़ने से उस परिषद ज़िले के लिए अविलम्ब रिक्ति तब सृजित हो जाएगी यदि निवास छोड़ने के 30 दिन के अंदर उस ज़िले में कोई वैकल्पिक निवास स्थापित नहीं होता।

- (3) इस धारा में दिए गए किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद इस प्रावधान के प्रभावी होने के समय कार्यरत परिषद सदस्य पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए उन्हें चुना गया था और जब तक उनका उत्तरवर्ती पात्र नहीं हो जाता। धारा 2.05.090 के बावजूद, व्यापक चुनाव द्वारा चुने गए परिषद सदस्य के पद पर रिक्ति को पूरे नगर द्वारा मतदान से भरा जाए। धारा 2.05.130 में स्थापित ज़िलों में और धारा 2.05.140 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर ज़िला-वार आधार पर उस सदस्य के उत्तरवर्ती का चुनाव किया जाएगा। ज़िला-वार आधार पर चुने गए परिषद सदस्य के कार्यालय में रिक्ति ऐसे व्यक्ति से भरी जाएगी जो उस पद के लिए पात्र हो और जो उस ज़िले का निवासी हो।

### **धारा 2.05.130 नगर परिषद चुनाव ज़िलों की स्थापना।**

(क) धारा 2.05.120(b)(3) के तहत, परिषद ज़िलों से निर्मांकित अनुसार परिषद के सदस्य एक "ज़िला-आधारित" के आधार पर चुने जाएंगे:

#### **ज़िला 1:**

फ्रीमोंट शहर के भीतर, सारी भूमि जो, कैलिफ़ोर्निया स्टेट हाईवे 84 के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित है, जिसे डिकोटो रोड के रूप में भी जाना जाता है।

#### **ज़िला 2:**

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निर्मांकित अनुसार वर्णित है:

कैलिफ़ोर्निया स्टेट हाईवे 84 के चौराहे, जिसे डिकोटो रोड के रूप में भी जाना जाता है, से शुरू होकर और इंटरस्टेट 880, बताया गया प्वाइंट सिटी ऑफ़ नेवार्क की सबसे उत्तरी सीमा तक; और वहां से उत्तर पूर्वी दिशा में डिकोटो रोड के साथ-साथ ऐलामीडा क्रीक के चौराहे तक, और यह वर्णित क्रीक जो यूनिशन सिटी और फ्रीमोंट के बीच की सीमा है; वहां से कहीं गई उत्तर पूर्वी दिशा के साथ-साथ यूनिशन पैसिफिक रेलरोड के चौराहे तक; वहां से कहीं गई लाइन के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐलामीडा क्रीक तक; वहां से कहीं गई क्रीक की दक्षिण पश्चिम दिशा के साथ-साथ एप्पल ट्री कोर्ट की प्रोजेक्शन तक; वहां से एप्पल ट्री कोर्ट की दक्षिण दिशा के साथ-साथ रिवर वॉक ड्राइव के चौराहे तक; वहां से रिवरसाइड वॉक के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ दक्षिण दिशा में राजमार्ग 84 के चौराहे तक, जिसे पैरालटा बुलेवार्ड भी कहा जाता है; वहां से पैरालटा बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण दिशा में पैरिश एवेन्यू तक; वहां से पैरिश एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में

फ्रीमोंट बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से फ्रीमोंट बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में एडगर्स ड्राइव के चौराहे तक; वहां से है एडगर्स ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लोगन ड्राइव के चौराहे तक; वहां से लोगन ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में रिचमंड एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से रिचमंड एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ब्लाको रोड के चौराहे तक; वहां से ब्लाको रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में इंटरस्टेट 880 के चौराहे तक; और वहां से इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में शुरुआती प्वाइंट तक।

### **ज़िला 3:**

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निम्नांकित अनुसार वर्णित है:

सिटी ऑफ नेवार्क के सबसे पूर्वी कोने से शुरू करते हुए, वर्णित प्वाइंट इंटरस्टेट 880 और स्टीवनसन बुलेवार्ड का चौराहा है; वहां से स्टीवनसन बुलेवार्ड के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से वॉलनट एवेन्यू के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में सिविक सेंटर ड्राइव के चौराहे तक; वहां से सिविक सेंटर ड्राइव के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में स्टेट हाईवे 238, जिसे मिशन बुलेवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, के चौराहे तक; वहां से मिशन बुलेवार्ड के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में यूनिजन पैसिफिक रेल रोड के चौराहे तक; वहां से यूनिजन पैसिफिक रेल रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐलामीडा क्रिक तक; वहां से कही गई क्रीक के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में एप्पलट्री कोर्ट की प्रोजेक्शन तक; वहां से एप्पलट्री कोर्ट के साथ-साथ दक्षिण दिशा में रिवरवॉक ड्राइव तक; वहां से रिवरवॉक ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ दक्षिण दिशा में हाईवे 84 के चौराहे तक, जिसे पैरालटा बुलेवार्ड भी कहा जाता है; वहां से पैरालटा बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पैरिश एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से पैरिश एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में फ्रीमोंट बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से फ्रीमोंट बुलेवार्ड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में ऐगर्स ड्राइव के चौराहे तक; वहां से ऐगर्स ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में लोगन ड्राइव के चौराहे तक; वहां से लोगन ड्राइव के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में रिचमंड एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से रिचमंड एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ब्लाको रोड के चौराहे तक; वहां से ब्लाको रोड के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से माउरी एवेन्यू के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में इंटरस्टेट 880 तक; और फिर इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में शुरुआती प्वाइंट तक।

### **ज़िला 4:**

सिटी ऑफ फ्रीमोंट का वह सारा हिस्सा जो इस वर्णित लाइन के उतरी और पूर्वी ओर है।

इंटरस्टेट 680 के चौराहे से सिटी ऑफ फ्रीमोंट की उतरी-पूर्वी सीमा तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में वाशिंगटन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से पश्चिम दिशा में वाशिंगटन बुलेवार्ड के साथ-साथ ड्रिसकॉल रोड के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में ड्रिसकॉल रोड के साथ-साथ पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में वॉलनट एवेन्यू के साथ-साथ सिविक सेंटर ड्राइव के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिमी

दिशा में सिविक सेंटर ड्राइव के साथ-साथ माउरी एवेन्यू के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में माउरी एवेन्यू के साथ-साथ स्टेट हाईवे 238, जिसे मिशन बुलेवार्ड भी कहा जाता है, के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिम दिशा में मिशन बुलेवार्ड के साथ-साथ यूनिनन पैसिफिक रेल रोड के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बताई गई रेल रोड लाइन के साथ-साथ सिटी ऑफ फ्रीमोंट की सीमा के चौराहे तक।

जैसा कि इस दस्तावेज में वर्णित है, ज़िला 2 और 5 को छोड़ कर।

### **ज़िला 5:**

सिटी ऑफ फ्रीमोंट का वह सारा हिस्सा जो इस वर्णित लाइन के दक्षिण की ओर स्थित है।

सिटी ऑफ नेवार्क की सबसे उत्तरी सीमा से शुरू होकर और यह वर्णित प्वाइंट जो कि स्टीवनसन बुलेवार्ड और इंटरस्टेट 880 के चौराहे पर है; वहां से दक्षिण-पूर्वी दिशा में इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ ऑटो मॉल पार्क के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में ऑटो मॉल पार्कवे के साथ-साथ इंटरस्टेट 680 के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में इंटरस्टेट 680 के साथ-साथ सिटी ऑफ फ्रीमोंट की सीमा के चौराहे तक।

### **ज़िला 6:**

फ्रीमोंट शहर की निम्नलिखित सीमा के भीतर का वह सारा भाग जो निम्नांकित अनुसार वर्णित हैं:

वाशिंगटन बुलेवार्ड और इंटरस्टेट 680 के चौराहे से शुरू होकर; वहां से दक्षिण की दिशा में इंटरस्टेट 680 के साथ-साथ ऑटो मॉल पार्कवे के चौराहे तक, वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में ऑटो मॉल पार्कवे के साथ-साथ इंटरस्टेट 880 के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पश्चिमी दिशा में इंटरस्टेट 880 के साथ-साथ स्टीवनसन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से उत्तर-पूर्वी दिशा में स्टीवनसन बुलेवार्ड के साथ-साथ पैसियो पाद्रे पार्कवे के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पूर्वी दिशा में पैसियो पाद्रे पार्कवे के साथ-साथ डिसकॉल रोड के चौराहे तक; वहां से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में डिसकॉल रोड के साथ-साथ वाशिंगटन बुलेवार्ड के चौराहे तक; वहां से पूर्वी दिशा में वाशिंगटन बुलेवार्ड के साथ-साथ शुरूआती प्वाइंट तक।

- (b) उप-विभाजन (a) में निर्दिष्ट परिषद ज़िलों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि वे कानून के अनुसार संशोधित या निरस्त नहीं किये जाते।

### **धारा 2.05.140 ज़िले द्वारा निर्वाचित परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम।**

परिषद के सदस्य परिषद ज़िले \_\_\_\_\_, और \_\_\_\_\_ [ज़िले 2 और 3 को 2018 में चुनाव के लिए शामिल किया जाना जरूरी है; और ज़िला 5 को छोड़कर] में निर्वाचित होंगे, नवंबर 2018 में सामान्य नगरपालिका चुनावों से शुरू होकर, और उसके बाद हर चार साल, धारा 2.05.140(b) में दिए गए के सिवाय और धारा 2.05.100 में दी गई अवधि सीमा के अधीन।

- (b) ऊपर वर्णित उपधारा (a) के बावजूद और उपधारा (d) के अधीन ज़िला परिषद \_\_\_\_\_ से 2018 में चुना गया परिषद का सदस्य दो साल का कार्यकाल पूरा करेगा।

- (c) नवंबर 2020 में सामान्य नगरपालिका चुनाव से शुरू करके परिषद ज़िले \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ [ज़िला 5

को परिषद के सदस्यों को 2020 में चुनाव के लिए शामिल किया जाना जरूरी है, और इसके बाद हर चार साल में, धारा 2.05.100 में निर्धारित अवधि सीमा के अधीन, चुनाव किया जाएगा।

(d) 2018 में परिषद ज़िला से चुने गए परिषद के सदस्य, नवंबर 2020 में फिर से चुनाव के अधीन होंगे, और उसके बाद हर चार साल, धारा 2.05.100 में निर्धारित अवधि सीमा के अधीन।

## धारा 2. ज़िले का नक्शा

इस अध्यादेश में दिए गए ज़िलों को दर्शाने वाला एक नक्शा यहाँ परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है और इस संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है। इस अध्याय में संहिताबद्ध किए गए अध्यादेश में और यहाँ शामिल किए गए नक्शे में दिए गए विवरण के बीच विरोधाभास होने पर नक्शे के विवरण को सही माना जाएगा। यदि इस अध्यादेश के लागू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो, तो शहरी प्रबंधक अथवा उसके द्वारा पदनामित व्यक्ति ज़िले की सीमाओं में तकनीकी समायोजन करने के लिए प्राधिकृत है जो ज़िलों में जनसंख्या को, उम्मीदवारों की पात्रता को, अथवा किसी ज़िले में चुने गए अधिकारियों के निवास को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित न करे। शहरी प्रबंधक आवश्यक समझे जाने वाले किसी तकनीकी समायोजन के संबंध में सिटी के अटर्नी के साथ परामर्श करेगा और नगर परिषद को ज़िलों के लागू करने में आवश्यक ऐसे किसी समायोजन के बारे में सुझाव देगा।

## धारा 3 CEQA

नगर परिषद यह पाती है कि फ्रीमोंट नगरपालिका संहिता में प्रस्तावित संशोधन कैलीफोर्निया विनियम संहिता (California Code of Regulations), धारा 15061(b)(3) के टाइटल 14 के अनुसरण में कैलीफोर्निया पर्यावरणीय गुणवत्ता अधिनियम (California Environmental Quality Act - CEQA) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त हैं क्योंकि यह ऐसी परियोजना नहीं है जिससे पर्यावरण पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

## अनुभाग 4. लागू होने की तारीख

यह अध्यादेश इसे अपनाए जाने के 30 दिन बाद लागू होगा।

## अनुभाग 5. पृथक्करणीयता (SEVERABILITY)

यदि इस अध्यादेश की किसी धारा, उपधारा, वाक्य, खंड अथवा वाक्यांश को किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया जाता है तो ऐसा निर्णय इस अध्यादेश के शेष हिस्सों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि ऐसी धारा, उपधारा, वाक्य, खंड अथवा वाक्यांश को कैलीफोर्निया विनियम संहिता के टाइटल 24 के संगत प्रावधानों, यदि कोई हो, द्वारा अधिक्रमित अथवा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। फ्रीमोंट नगर परिषद एतद्वारा यह घोषणा करती है कि यह इस अध्यादेश की किसी एक अथवा अधिक धाराओं, उपधाराओं, वाक्यों, खंडों और वाक्यांशों को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति के बावजूद इस अध्यादेश और इसकी प्रत्येक धारा अथवा उपधारा, वाक्य, खंड तथा वाक्यांश को पारित करती।

## अनुभाग 6. प्रकाशन

यह अध्यादेश कम से कम एक बार एलामीडा काउंटी में मुद्रित तथा प्रकाशित होने वाले और फ्रीमोंट नगर में परिचालित किए जाने वाले सामान्य परिचालन वाले किसी समाचार-पत्र में इसे अपनाए जाने के पंद्रह (15) दिन के अंदर अवश्य प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

\* \* \*

उपर्युक्त अध्यादेश को \_\_\_\_ 2017 के \_\_वें दिन आयोजित नगर परिषद की नियमित बैठक में फ्रीमोंट नगर की नगर परिषद के समक्ष रखा गया था और अंत में \_\_\_\_, 2017 के \_\_ दिन आयोजित नगर परिषद की नियमित बैठक में निम्नलिखित मत से अपनाया गया:

हाँ वाले:

नहीं वाले:

अनुपस्थित:

अनुपस्थित रहे:

\_\_\_\_\_  
मेयर

प्रमाणन:

अनुमोदन से संबंधित:

\_\_\_\_\_  
सिटी क्लर्क

\_\_\_\_\_  
सहायक सिटी अटर्नी